इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही बीआईएफआर द्वारा प्रस्तुत राय बीमार औद्योगिक कंपनी को बंद करने का निर्देश देने का आधार बन सकती है, फिर भी उच्च न्यायालय को ऐसी राय की शुद्धता की जांच करने से नहीं रोका जाता है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह इस संबंध में बीआईएफआर से सिफारिश और राय प्राप्त होने पर और संबंधित पक्षों को सुनने पर ऐसी सिफारिश की शुद्धता की जांच किए बिना रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने का आदेश दे।

(पैरा 9)

इसके अलावा, बीआईएफआर एक विशेषज्ञ निकाय है जिसका गठन रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुद्धार के अवसरों की जांच करने और उनका पता लगाने के लिए किया गया है। यह केवल तभी होता है जब यह राय होती है कि कंपनी उचित समय के भीतर अपने संचित घाटे से अधिक अपनी शुद्ध संपत्ति नहीं बना सकती है, तो यह सिफारिश कर सकती है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि ऐसे विशेषज्ञ निकाय की राय अपने उचित वजन की हकदार है, लेकिन यह न तो निर्णायक हो सकता है और न ही उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी हो सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 433 और धारा 443 के तहत उच्च न्यायालय को किसी कंपनी को बंद करने का आदेश देने की शक्ति न्यायिक प्रकृति की है। कार्यवाही को समाप्त करने का दायरा बीआईएफआर के समक्ष कार्यवाही की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। कंपनी न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करना होगा और उसके बाद न केवल याचिका देने वाले लेनदार के हित में बल्कि अन्य लेनदारों, योगदानकर्ताओं, श्रमिकों, कंपनी के हित

में और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना होगा। ऐसा करने पर, उच्च न्यायालय के लिए बीआईएफआर की राय/सिफारिश की शुद्धता की जांच करने और उसके बाद यह निर्णय लेने की अनुमति होगी कि कंपनी को बंद किया जाना चाहिए या नहीं।

(पैरा 12)

सुनील चड्ढा, वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति वर्मा,

एडवोकेट

अपीलकर्ता के लिए।

तेजिंदर सिंह ढींडसा, न्यायमूर्ति ।

(एक) मेसर्स पंजाब टिशूज लिमिटेड यानी अपीलकर्ता-कंपनी ने 2003 की कंपनी याचिका संख्या 11 में विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित 14.8.2015 के आदेश के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 483 के तहत तत्काल अपील को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से संदर्भ प्राप्त हुआ है अपीलकर्ता-कंपनी को बंद करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया है।

(2). अपीलकर्ता-कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के तहत एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित किया गया था (इसके बाद इसे "एसआईसीए" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक पुनर्वास प्रस्ताव को बीआईएफआर द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया था। दिनांक 18-12-2002 के आदेश के तहत बीआईएफआर ने विभिन्न बैठकें/सुनवाई करने के बाद एसआईसीए की धारा 20(1) के तहत अपीलकर्ता-कंपनी को बंद करने की सिफारिश की थी। दिनांक 18-

12-2002 की ऐसी सिफारिश दिनांक 7-1-2003 के पत्र द्वारा इस न्यायालय को अग्रेषित की गई थी और जिस पर 2003 की कंपनी याचिका संख्या 11 पंजीकृत की गई थी।

(3) दिनांक 14.08.2015 के आक्षेपित आदेश के तहत अपीलकर्ता-कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया है। आधिकारिक परिसमापक को कंपनी का परिसमापक नियुक्त किया गया है। समापन पत्र को आधिकारिक परिसमापक द्वारा इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), दैनिक भास्कर (हिंदी), दोनों चंडीगढ़ संस्करणों और चंडीगढ़ प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। बीआईएफआर द्वारा दिनांक 18-12-2002 के अपने आदेश में की गई सिफारिशों के आधार पर और यह देखते हुए कि कंपनी याचिका इस न्यायालय में लंबे समय से लंबित है और इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है, समापन का आदेश दिया गया है।

(4)अपीलकर्ता-कंपनी की ओर से पेश वकील ने कहा कि बीआईएफआर द्वारा पारित दिनांक 18.12.2002 के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता-कंपनी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी थी और जो अपील 2-6-2003 को चूक में खारिज कर दी गई थी और उक्त अपील की बहाली/पुनरुद्धार की मांग करने वाला एक आवेदन अभी भी विचाराधीन है। आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता-कंपनी के केवल तीन सुरक्षित लेनदार थे यानी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (पीएसआईडीसी) और पंजाब वित्तीय निगम (पीएफसी)। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि कंपनी के पास कोई अन्य सुरक्षित या असुरक्षित लेनदार नहीं था और कंपनी याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता-कंपनी ने 142 लाख रुपये की राशि का भुगतान करके स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के दावे को पूरी तरह से संतुष्ट किया था और जिस पर दिनांक 23.11.2005 को 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' जारी किया गया था। यह भी कहा गया है कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान,

अपीलकर्ता-कंपनी ने अन्य सुरक्षित लेनदारों यानी पीएसआईडीसी और पीएफसी को 214.52 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। 15.10.2009 को पीएसआईडीसी ने अपीलकर्ता-कंपनी को सूचित किया था कि एकबारगी निपटान (ओटीएस) के तहत 5,24,27,482/- रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, जिसमें से 15% अर्थात 88.90 लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और 14.11.2009 को 66 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की गई थी। पंजाब राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पीएसआईडीसी, पीएफसी और पंजाब कृषि उद्योग निगम (पीएआईसी) और इसकी सहायक निगमों के बकायों के निपटान के लिए एक और उदार वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति, 2015 को मंजूरी देने का भी उल्लेख किया गया है। एक नट-शेल में, यह तर्क दिया गया है कि सभी पूर्व-ध्यान दिए गए तथ्यों को विद्वान कंपनी न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया था और फिर भी 14.8.2015 को समापन का आदेश पारित किया गया है।

(5) विचारार्थ उठने वाला मुद्दा यह है कि क्या यह न्यायालय कंपनी अधिनियम की धारा 433 के तहत किसी कंपनी को बंद करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने विचार को केवल बीआईएफआर की सिफारिशों तक ही सीमित रखेगा और इस प्रकार कंपनी अधिनियम और कंपनी (न्यायालय) नियमों 1959 के तहत विचार की गई याचिका और उसके विज्ञापन को स्वीकार करने के संबंध में प्रक्रिया को दरकिनार करेगा।

(6)एसआईसीए की धारा 20 एक बीमार औद्योगिक कंपनी को बंद करने से संबंधित है और निम्नानुसार है:

> (1) जहां बोर्ड, धारा 16 के तहत जांच करने के बाद और सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यह राय रखता है कि बीमार

औद्योगिक कंपनी को अपने सभी वित्तीय दायित्वों को पूरा करते हुए उचित समय के भीतर अपने शुद्ध मूल्य को संचित घाटे से अधिक बनाने की संभावना नहीं है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी बनने की संभावना नहीं है। भविष्य में व्यवहार्य है और यह उचित और न्यायसंगत है कि कंपनी को बंद कर दिया जाना चाहिए, यह अपनी राय दर्ज कर सकता है और संबंधित उच्च न्यायालय को भेज सकता है।

(2) उच्च न्यायालय, बोर्ड की राय के आधार पर, रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने का आदेश देगा और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने की कार्यवाही कर सकता है।

(3) रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने के उद्देश्य से, उच्च न्यायालय ऑपरेटिंग एजेंसी के किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, यदि ऑपरेटिंग एजेंसी अपनी सहमति देती है, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के परिसमापक के रूप में तथा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी को बंद करने के प्रयोजनार्थ कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन शासकीय परिसमापक समझा जाएगा और उसके पास शासकीय परिसमापक की सभी शक्तियाँ होंगी।

(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, बोर्ड रुग्ण औद्योगिक कंपनी की परिसंपत्तियों को इस तरह से बेच सकता है जो वह उचित समझे और बिक्री आय को धारा 529 ए और कंपनी अधिनियम 1956" के अन्य प्रावधानों के अनुसार वितरण के आदेश के लिए उच्च न्यायालय को भेज सकता है।

(7) एसआईसीए की धारा 20 की वैधता को जेएम ***मल्होत्रा*** *बनाम* ***भारत संघ***[1] में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा बरकरार रखा गया था और यह माना गया था कि बीआईएफआर द्वारा प्रस्तुत राय केवल बंद करने के उद्देश्य से बीमार औद्योगिक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का आधार बनेगी और कंपनी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जानी है। कंपनी को बंद करने के लिए। यह माना गया कि एसआईसीए की धारा 20 की उपधारा (1) और (2) केवल धारा 439 या 440 की आवश्यकता है क्योंकि यह मामला कंपनी अधिनियम का हो सकता है ताकि भाग VIII, अध्याय II के तहत कंपनी के समापन के लिए कार्यवाही शुरू की जा सके और इस सवाल की जांच भी की जा सके कि क्या किसी कंपनी को बंद करने का आदेश देना उचित और न्यायसंगत है। समापन के लिए शेष कार्यवाही कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। यह देखा गया कि भले ही बीआईएफआर द्वारा प्रस्तुत राय उच्च न्यायालय द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने का आदेश देने का आधार है, फिर भी उच्च न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि

वह बीआईएफआर द्वारा प्रस्तुत राय की शुद्धता पर विचार करे और यह तय करे कि क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए और प्रावधानों के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कंपनी अधिनियम इस तरह की टिप्पणियों के आलोक में एसआईसीए की धारा 20 को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है और बीआईएफआर को बे लगाम शक्ति देता है।

[1] (1997) 89 C.C. 600

(8) जेएम मल्होत्रा के मामले (सुप्रा) ***में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय*** की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***वीआर रामाराजू*** *बनाम* ***भारत संघ[2] में पुष्टि की*** गई थी और इसे निम्नानुसार माना गया था:

> "देरी माफ कर दी गई। हमें उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला, जिसने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 20 की उप-धारा (2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
>
> यह स्पष्ट है कि उप-धारा (2) का अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि कंपनी को बंद करने के प्रश्न पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय को उप-धारा (1) के तहत उसे अग्रेषित बोर्ड की राय को ध्यान में रखना होगा और समापन के प्रश्न को निर्धारित करने के अपने स्वयं के कार्य को त्यागना नहीं है। इसलिए, पढ़ें, उप-धारा (2) किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। मूल रूप से उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।
>
> इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

(9) इसलिए, यह तय है कि भले ही बीआईएफआर द्वारा प्रस्तुत राय बीमार औद्योगिक कंपनी को बंद करने का निर्देश देने का आधार बन सकती है, फिर भी उच्च न्यायालय को ऐसी राय की शुद्धता की जांच करने से नहीं रोका जाता है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह इस संबंध में बीआईएफआर से सिफारिश और राय प्राप्त होने पर और संबंधित पक्षों को सुनने पर ऐसी सिफारिश की शुद्धता की जांच

[2] 1997 89 C.C. 609

किए बिना रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने का आदेश दे।

(10) कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 का भाग-III "समापन" से संबंधित है। नियम 95 के तहत, किसी कंपनी को बंद करने के लिए याचिका फॉर्म संख्या 45, 46 और 47 में होगी, जैसा भी मामला हो। नियम 96 याचिका को समापन के लिए स्वीकार करने और विज्ञापन के संबंध में निर्देश देने से संबंधित है और इसके तहत, याचिका दायर करने पर, इसे याचिका को स्वीकार करने और उस पर सुनवाई के लिए तारीख तय करने और प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों और व्यक्तियों के बारे में निर्देश देने के लिए चैंबरों में न्यायाधीश के समक्ष पोस्ट किया जाएगा। यदि कोई हो, तो याचिका की प्रतियां किसे दी जानी हैं। नियम 96 के तहत, एक न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, तो याचिका के विज्ञापन के बारे में निर्देश देने से पहले कंपनी को नोटिस देने का निर्देश दे सकता है। नियम 98 के तहत, कंपनी का प्रत्येक अंशदायी या लेनदार होने का हकदार होगा याचिकाकर्ता या उसके वकील द्वारा प्रस्तुत याचिका की एक प्रति, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, उसकी आवश्यकता के 24 घंटे के भीतर। नियम 99 याचिका के विज्ञापन से संबंधित है और उसके तहत, न्यायालय के किसी भी निर्देश के अधीन, याचिका को नियम 24 द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर और तरीके से फॉर्म नंबर 48 में विज्ञापित किया जाएगा।

(11) ऊपर उल्लिखित नियमों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कंपनी याचिका को बंद करने के लिए याचिका को स्वीकार करने का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक लेनदारों, योगदानकर्ताओं और अन्य लोगों को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किए जाने के बारे में नोटिस किया गया है। विज्ञापन का उद्देश्य एक लेनदार, अंशदायी या किसी अन्य व्यक्ति को समापन के आदेश का समर्थन करने या विरोध करने में सक्षम बनाना है।

(12) बीआईएफआर एक विशेषज्ञ निकाय है जिसका गठन रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरुद्धार के अवसरों की जांच करने और उनका पता लगाने के लिए किया गया है। यह केवल तभी होता है जब यह राय होती है कि कंपनी उचित समय के भीतर अपने संचित घाटे से अधिक अपनी शुद्ध संपत्ति नहीं बना सकती है, तो यह सिफारिश कर सकती है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि ऐसे विशेषज्ञ निकाय की राय अपने उचित वजन की हकदार है, लेकिन यह न तो निर्णायक हो सकता है और न ही उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी हो सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 433 और धारा 443 के तहत उच्च न्यायालय को किसी कंपनी को बंद करने का आदेश देने की शक्ति न्यायिक प्रकृति की है। कार्यवाही को समाप्त करने का दायरा बीआईएफआर के समक्ष कार्यवाही की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। कंपनी न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करना होगा और उसके बाद न केवल याचिका देने वाले लेनदार के हित में बल्कि अन्य लेनदारों, योगदानकर्ताओं, श्रमिकों, कंपनी के हित में और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना होगा। ऐसा करने पर, उच्च न्यायालय के लिए बीआईएफआर की राय/सिफारिश की शुद्धता की जांच करने और उसके बाद यह निर्णय लेने की अनुमति होगी कि कंपनी को बंद किया जाना चाहिए या नहीं।

(13) हमारा सुविचारित मत है कि बीआईएफआर की सिफारिश रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने की कार्यवाही जारी रखने का आधार मात्र होगी और बीआईएफआर की सिफारिश प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही कंपनी न्यायालय द्वारा कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जानी है।

(14) 2003 की कंपनी याचिका संख्या 11 में विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.8.2015 के आक्षेपित आदेश में निर्देश दिया गया था कि दिनांक 7-1-2003 के पत्र द्वारा प्राप्त बीआईएफआर की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए अपीलकर्ता-कंपनी आय को बंद करने और कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत परिकल्पित याचिका को स्वीकार करने और उचित विज्ञापन के संबंध में प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है।

(15) हमारी राय है कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश को याचिका को स्वीकार करने और उसके उचित विज्ञापन के संबंध में कंपनी न्यायालय नियम, 1956 के प्रासंगिक नियमों के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। यदि ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो यह सभी संबंधितों के लाभ को सुनिश्चित करेगा।लेनदारों, योगदानकर्ताओं आदि सहित पार्टियां और उन्हें समापन के लिए याचिका को स्वीकार करने का समर्थन या विरोध करने में सक्षम बनाती हैं। याचिका को स्वीकार करने की ऐसी प्रक्रिया का पालन जेएम मल्होत्रा के मामले (सुप्रा) में एसआईसीए की धारा 20 की व्याख्या के आलोक में भी किया जाना चाहिए था और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और जिसमें यह माना गया था कि धारा 20 की उपधारा (2) का अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि कंपनी को बंद करने के प्रश्न पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय ने उपधारा (1) के तहत बीआईएफआर को भेजी गई राय को ध्यान में रखना और समापन के प्रश्न को निर्धारित करने के अपने स्वयं के कार्य को त्यागना नहीं।

(16) याचिका को स्वीकार करने के संबंध में कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करने पर एक और उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा, यह है कि

संबंधित पक्ष, चाहे वह लेनदार हो या अंशदायी या कोई अन्य संबंधित पक्ष, बीआईएफआर की सिफारिश प्राप्त होने के बाद कंपनी अदालत की घटनाओं को कंपनी अदालत के ध्यान में लाने की सुविधा प्रदान करना और ऐसी बाद की घटनाओं के आलोक में एक मामला तैयार करना की बीआईएफआर की राय और सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और कंपनी को बंद नहीं किया जाना चाहिए।

(17) वर्तमान मामले में, कंपनी न्यायाधीश ने दिनांक 14.8.2015 के आदेश के तहत याचिका को स्वीकार करने का निर्देश नहीं दिया है और न ही विज्ञापन के लिए निर्देश जारी किए हैं, बल्कि इसके बजाय बीआईएफआर की राय / सिफारिश के आधार पर समापन का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार, कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 96 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

(18) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, अपील की अनुमति है। 2003 के सीपी नंबर 11 में विद्वान कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.8.2015 के आदेश को रद्द किया जाता है। कंपनी याचिका को स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है।

(19) प्रवेश के संबंध में विज्ञापन 30.9.2015 को या उससे पहले अपीलकर्ता-कंपनी के खर्च पर इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), दैनिक भास्कर (हिंदी), दोनों चंडीगढ़ संस्करणों और चंडीगढ़ प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के आधिकारिक राजपत्र में फॉर्म नंबर 48 में जारी किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि वापसी योग्य तारीख / सुनवाई की तारीख 30.10.2015 होगी।

(20) कंपनी के मामलों की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 30.10.2015 को प्रवेश के लिए याचिका सूचीबद्ध करें।

(21) तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी